19

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1220–पीबीआर/2004 – विरूद्ध आदेश दिनांक 28–3–1997 – पारित – व्दारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 71/1996–97 निगरानी

महिला गुडडी पुत्री अजब सिंह
ग्राम किशन की गढ़िया तहसील भिण्ड ---आवेदक

विरूद्ध

1– इन्दल सिंह पुत्र सुघर सिंह
2– मेघ सिंह पुत्र सुघर सिंह
निवासीगण ग्राम दिवियापुरा
पोस्ट टहनुगर जिला भिण्ड
3– महिला विट्टोदेवी पुत्री कमल सिंह
4– महिला उषा पुत्री छोटे सिंह
निवासी किशन की गढ़िया
तहसील व जिला भिण्ड ---अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से श्री डी0एस0चौहान अभिभाषक)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित– एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 8–5 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 71/1996–97 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28–3–97 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि महिला विट्टा पुत्री कमल सिंह, कु0उषा पुत्री छोटे सिंह, कु0 गुडडी पुत्री अजव सिंह ने तहसीलदार भिण्ड को आवेदन देकर बताया कि ग्राम मीसा के कुल किता 5 कुल रकबा 38 वीघा के भूमिस्वामी सुघर सिंह थे । सुघर सिंह की मृत्यु हो गई है उनके दो लड़के कमशः इन्दल सिंह व मेघ सिंह थे जिनमें से मेघ सिंह को न्यायालय से लापता होने से सिविल

डेथ मान्य की गई है। अपर आयुक्त व्दारा प्रकरण कमांक 21/79-80 अपील में पारित आदेश 17-2-88 से वारिसान के नामान्तरण की कार्यवाही होना है। आवेदिकाओं ने मिलकर दानपत्र से इन्दल सिंह वारिस का नामान्तरण करने की मांग की है तद्नुसार कागजात में उसके नाम का इन्द्राज किया जाय। नायव तहसीलदार भिण्ड ने प्र0क0 32/91-92 अ 6 कर पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 31-1-94 पारित किया एंव इन्दल सिंह के स्वत्व की भूमि ग्राम मिसा के हिस्से पर इन्दलसिंह का नाम निरस्त कर महिला विट्टा, उषा, गुडडी का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व ईदल सिंह ने अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील करने पर प्रकरण कमांक 89/93-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-7-96 से अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु वापिस हुआ। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चंबल संभाग ग्वालियर के समक्ष निगरानी कमांक 71/96-97 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 28-3-97 से निगरानी निरस्त की गई एंव तहसील न्यायालय को प्रकरण पक्षकारों की सुनवाई हेतु वापिस किया गया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार भिण्ड के प्र0क0 32/91-92 अ 6 में पारित आदेश दिनांक 31-1-94 , अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 89/93-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-7-96 तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग ग्वालियर व्दारा निगरानी कमांक 71/96-97 में पारित आदेश दिनांक 28-3-97 के अवलोकन पर पाया गया कि तहसील न्यायालय व्दारा प्र0क0 32/91-92 अ 6 में

नामान्तरण हेतु अनुसरित प्रक्रिया संहिता की धारा 119 सहपठित 110 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं की गई, क्योंकि स्वर्गीय मेघ सिंह को न्यायालय व्दारा लापता होने के आधार पर सिविल डेथ होना मान्य किया है परन्तु नायव तहसीलदार ने मेघसिंह के विधिक वारिस कौन कौन है रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही नहीं की है । भूमिस्वामी सुघर सिंह के विधिक वारिस और कौन हैं तहसील न्यायालय की ओर से जानकारी प्राप्त नहीं की गई है एंव न ही इस्तहार का समुचित प्रकाशन कराया गया है और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने आदेश दिनांक 21-7-96 से मृतक के वारिसान को अथवा अन्य हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है जिसके कारण अपर आयुक्त, चंबल संभाग ग्वालियर ने निगरानी कमांक 71/96-97 में पारित आदेश दिनांक 28-3-97 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग ग्वालियर व्दारा निगरानी कमांक 71/96-97 में पारित आदेश दिनांक 28-3-97 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर